न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जालोर

पीठासीन अधिकारी : भूपेन्द्र कुमार यादव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 09/2014 प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
अनवान
प्रार्थीया
वादली पुत्री धीरा पत्नी हराराम जाति मेघवाल निवासी कारोला, हाल झेरडियावास, सांचौर, जालोर।
बनाम
अप्रार्थीगण

1. समरथाराम पुत्र धीरा
2. टीकमाराम पुत्र धीरा
3. केशाराम पत्र धीरा
4. रिडमलराम पुत्र धीरा
5. प्रभुराम पुत्र धीरा
   जातियान मेघवाल निवासीगण कारोला, तहसील सांचौर जिला जालोर।
6. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. बैक शाखा सांचौर।
7. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर।
8. उप पंजीयन सांचौर।

उपस्थित : प्रार्थीया अधिवक्ता श्री इब्राहिमशाह
अप्रार्थीगण श्री दिनेशकुमार विश्नोई

निर्णय दिनांक 07.01.2021

प्रार्थिया द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस प्रकार पेश किया कि गांव कारोला, पटवार हल्का–सांचौर तहसील सांचौर जिला–जालोर में नवीन खसरा नम्बर 1814 रकबा 0.01 हैक्टर खसरा नं. 1815 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नं. 1816 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नं. 1817 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 1818 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नं. 1819 रकबा 8.45 हैक्टर कुल खसरा–6 कुल रकबा 8.62 हैक्टर आराजी आई हुई है। उक्त आराजी नामान्तरकरण संख्या–336 के जरिये धीरा वल्द मेगा के फौत होने पर अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई है। इस प्रकार यह आराजी पैत्रक संपति है, जो धीरा के फौत होने पर अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है।

खातेदारी के अलावा अन्य खातेदारी संख्या 2277,2278,2279,2318,2319 में धीरा के फौत होने पर धीरा के कानूनी वारिसान प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 के नामान्तरकरण खोला जाकर उक्त आराजी प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 के नांम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई।

प्रार्थीया धीरा की पुत्री होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार के तहत धीरा की संपति में प्रार्थीया का हक–हिस्सा बनता है। आर.टी.एक्ट की धारा–40 के तहत पैरा संख्या–1 में वर्णित भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 के साथ प्रार्थीया का भी नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना था लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 ने हल्का पटवारी एवं राजस्व विभाग के कर्मचारीयों एवं अधिकारीयों से सांठ–गांठ कर खसरा संख्या 1814,1815,1816,1817,1818,1819 में प्रार्थीया का नाम दर्ज नही किया। जबकि अन्य खसरा संख्या 2277,2278,2279,2318,2319 में प्रार्थीया का नाम भी अप्रार्थीण के साथ साथ धीरा के फौत होने पर राजस्व रेकर्ड्र में दर्ज किया है। इस प्रकार खसरा संख्या 1814,1815,1816,1817,1818,1819 में भी प्रार्थीया धीरा की पुत्री होने के कारण राजस्व रेकर्ड में अपने हक–हिस्से में आई भूमि में खातेदार घोषित करवाने की प्रार्थीया अधिकारीणी होने से दावा बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा का माननीय अदालत में पेश किया जा चुका है।

प्रार्थीया धीरा की पुत्री है तथा धीरा की संपति में हिन्दु उत्तराधिकार के तहत अपना हक–हिस्सा रखती है। अप्रार्थीगण बिना किसी आधार के प्रार्थीया को उसके हक–हकूकों से वंचित करने की अधिकारी नही है। लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को उसके हक–हकूकों से वंचित करते हुये विवादित–संपति खाता संख्या 356 की भूमि अपने नाम रेवेन्यू रेकर्ड में दर्ज करवाकर अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के साथ– साथ प्रार्थीया का भी नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाकर प्रार्थीया को उसके हक–हकूकों से वंचित किया गया है, जिससे मजबूर होकर प्रार्थीया अपने अधिकारों की घोषणा के लिये माननीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.01.14 14:06:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned by CamScanner

अदालत में आई है। प्रार्थीया अपने हक–हिस्से की घोषणा करवाने के बाद हक–हिस्से में आई भूमि का बिना किसी बाधा एवं अवरोध के उपयोग–उपभोग करने की प्रार्थीया अधिकारीणी होने से दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का भी अदालत में पेश किया गया है।

विवादित संपति पैत्रिक संपति है जिसमें प्रार्थीया का जन्म से ही हक–हिस्सा बनता है। लेकिन अप्रार्थीगण ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारीयों से मिलावट करके प्रार्थीया को उसके हक–हिस्से से वंचित किया है। मूल वाद के अंतिम निस्तारण अप्रार्थीगण को अगर जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद नही किया गया तो प्रार्थीया उसके हक–हिस्से से वंचित हो जायेगी। प्रार्थीया के विधिक अधिकार का उल्लंघन होने के कारण प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अगर अप्रार्थीगण ने विवादित संपति खुर्द–बुर्द कर दी तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया को होगी जिसकी भरपाई रूपयों पैसों में किया जाना संभव नही है। विवादित संपति पैत्रक होने के कारण जन्म से प्रार्थीया का हक–हिस्सा बनता है।अगर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये नही रोका गया तो सबसे ज्यादा असुविधा प्रार्थीया को होगी इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो आधारमूलभूत स्तंभ प्रार्थीया के पक्ष में होने से प्रार्थीया अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर माननीय अदालत से निवेदन है कि गांव कारोला, पटवार हल्का– कारोला, तहसील सांचौर, जिला– जालोर में स्थित नवीन खसरा संख्या 1814,1815,1816,1817,1818,1819 के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण बनाये रखें एवं न ही उक्त भूमि को बैचान, भोगलावा, गिरवी, बख्शीश वगैरह करें।इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीया विरूद्व अप्रार्थीगण सादिर फरमावें

तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी संख्या 4व 5 द्वारा जवाब पेश नहीं करना व्यक्त किया। अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे अतः इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब इस प्रकार पेश किया कि ग्राम कारोला के खसरा नम्बर 1814,1815,1816,1817,1818,1819 की आराजी नामांतरण संख्या 336 से केसाराम,टीकमाराम,प्रभूराम, रिडमलराम,समरथाराम,पुत्र धीराराम को प्राप्त हुई है। प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र में खसरा नम्बर 2277,2278,2279,2318,2318 किस गांव के है तथा किस नामान्तरण के जरिये म्यूटेशन खोला गया है उल्लेख नही किया है। वर्तमान में ग्राम कारोला पटवार हल्का कारोला में खसरा संख्या 2277,2278,2279,2318,2318 के नाम से कोई खातेदारी खेत नही आये हुए है। प्रार्थीया ने गलत खातेदारी खेत का दावा पेश किया है। ग्राम कारोला के खेत खसरा नम्बर 1814,1815,1816 ,1817,1818,1819 की खातेदारी केसाराम, टीकमाराम, प्रभूराम, रिडमलराम, समरथाराम,पुत्र धीरा कौम– मेघवाल , निवासीगण– कारोला के नाम से आई हुई है। धीरा की कोई बादली नाम की पुत्री नही थी। धीरा के 5 पुत्र है। बादली नाम की कोई पुत्री नही है। इसलिए केसाराम, टीकमाराम, प्रभुराम, रिडमलराम व समरथाराम की खातेदारी में किसी दूसरे का कोई हक नही है। ग्राम कारोला में वर्तमान में खसरा संख्या नम्बर 1814,1815,1816,1817,1818,1819 की खातेदारी हम अप्रार्थीगण के नाम से है। हमारी कोई बादली नाम की बहिन नही थी इसलिए उसका हक नही बनता है तथा न ही वर्तमान समय में ग्राम कारोला में कोई 2277,2278,2279,2318,2319 के नाम से खातेदारी खेत आये हुए है। प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र में कोई उल्लेख नही किया है कि मुझे इन खसरा नम्बरान में किस म्यूटेशन के जरिये नाम खोला गया है तो वह गलत है क्योंकि हमारे कोई बादली नाम की बहिन नही थी। स्व. धीरा के वारिशान मात्र हम पांच पुत्र है। हम अप्रार्थीगण मेघवाल जाति से है जो अनूसूचित जाति की श्रेणी में आती है। हमारे पर हिन्दू उत्तराधिकार विधिक लागू नही होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई प्रकरणों में कहा है कि अनूसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति पर काश्तकारी अधिनियम के दायरे काफी सिमित है। प्रार्थीया हमारी बहिन नहीं है। इसलिए हमारी जमीन में उसका कोई हक नही बनता है। प्रार्थीया का किसी प्रकार का हक हकूक नही होने [illegible] निषेधाज्ञा व अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई हक हकूक नही बनता है। इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है।

धीरा के फौत होने पर ग्राम कारोला के खेत खसरा नम्बर 1814,1815,1816,1817,1818,1819 का नामांतरण बिल्कुल सही भरा गया तथा उनके वास्तविक उत्तराधिकारी पांचो पुत्रों के नाम से नामांतरण खोला गया। प्रार्थीया को किसी प्रकार का कोई हक नही है प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.01.14 17:06:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned by CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
प्रकरण में बिन्दुवार विवेचन इस प्रकार है :–

प्रथम दृष्ट्या प्रकरण

प्रार्थीया के अनुसार गांव कारोला पटवार हल्का कारोला के खसरा संख्या 1814 से 1819 धीरा वल्द मेघा के फौत होने पर जरिये नामान्तरणकरण 336 अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज हुई है। चूकि प्रार्थीया धीरा की पुत्री है अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत धीरा की संपत्ति में प्रार्थीया का हक हिस्सा बनता है। परन्तु राजस्व विभाग के कर्मचारियों से अप्रार्थीगण ने सांठ गांठ कर प्रार्थीया को उनके हक हकूक से व्रंचित कर दिया है जबकि धीरा की अन्य संपत्ति खसरा संख्या 2277,2278,2279,2318 व 2319 में प्रार्थीया का नाम अप्रार्थीया का नाम अप्रार्थीगण के साथ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

अप्रार्थीगण के अनुसार धीरा के वारिसान केवल वो 5 भाई है बादली नाम की उनकी कोई बहिन नहीं हैं प्रार्थीया द्वारा खसरा संख्या 2277,2278,2279,2318 व 2319 किस गांव की आराजी है प्रार्थना पत्र में उल्लेखित नही किया है। इसलिए प्रार्थीया का आराजी मुतनाजा में कोई हक हिस्सा नही हैं।
प्रस्तुत दस्तावेज यथा जमाबंदी इत्यादि से स्पष्ट है के ग्राम कारोला पटवार हल्का कारोला के खसरा संख्या 2277,2278,2279,2318 व 2319 में प्रार्थीया अप्रार्थीगण के साथ खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रविष्टि में अप्रार्थीगण के साथ–साथ प्रार्थीया का नाम भी बादली पुत्री धीरिया के नाम से दर्ज है। जबकि खसरा संख्या 1814 से 1819 में अप्रार्थीगण का ही नाम दर्ज है उक्त आराजी मुतनाजा अप्रार्थीगण के नाम खातेदार धीरा वल्द मेघा के फौत होने पर विरासत में दर्ज हुई है। जबकि बादली जो धीरा की पुत्री है एवं अन्य खसरों में अप्रार्थीगण के साथ नाम भी दर्ज है ।
अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीया के हक में कयास आता है इसलिए यह बिन्दु प्रार्थीया के हक में तय किया जाता है।

2 सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति

तथ्यों के दोहराव से बचने के लिए दोनों बिन्दुओं का विवेचन एक साथ किया जा रहा है

प्रार्थीया बादली धीरा की पुत्री होने से एवं अन्य ग्राम कारोला की भूमि में अप्रार्थीगण के साथ खातेदार के रूप में नाम दर्ज होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के हक में है। और यदि अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से भूमि को खुर्द बुर्द यथा भूमि का बेचान करने व रहन इत्यादि करने से प्रार्थीया को ही अपूर्णिय क्षति होगी अतः उक्त बिन्दु भी बहक प्रार्थीया विरूद्व अप्रार्थीगण तय किये जाते है।

अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति तीनों बिन्दु बहक प्रार्थीया विरूद्व अप्रार्थीगण सिद्व हुये है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।
इसलिए प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा आराजी मुतनाजा खसरा संख्या 1814,1815,1816,1817,1818 व 1819 पर मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने व आराजी मुतनाजा को रहन, बेचान या बख्शीश इत्यादि न करने हेतु पाबंद किया जाता है।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल पत्रावली के साथ जुज रहे।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.01.14 17:06:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner